न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2021/160

1. मिश्री देवी पत्नी जोरूराम, जाति गुर्जर निवासी नीमली तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

——मुख्य रेस्पोडेन्ट

2. खेताराम पुत्र भरता,
3. खेमाराम पुत्र श्योकरण,
4. गोपी पुत्र कालू,
5. गुल्ला पुत्र जमन समस्त जाति गुर्जर निवासी नीमली तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
6. मूला पुत्र देवी सहाय जाति ब्राहम्ण, समस्त निवासी नीमली तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
7. अमीचन्दपुत्र रामजीलाल, जाति रैगर निवासी रामपुराखुर्द तहसील विराटनगर जिला जयपुर। **(आदेश दि. 03.01.22 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 का नाम तर्क किया गया)**

——तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री बंशीधर जाट एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 25.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 482/555 रकबा 0.58 हैक्टयर ग्राम नीमली में स्थित है जिसमें कभी कोई रास्ता नही रहा है, उक्त भूमि के पूर्व की ओर तत्कालिन सरपंच व उसके भाईयो की खातेदारी भूमि है जिसमें से हमेशा रास्ता चालू रहा है लेकिन राजनैतिक द्वेषता के कारण तत्कालिन सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाही करवाई गई है जबकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 07.06.2019 को स्वयं की भूमि का सीमाज्ञान करवाया थी तथा पूर्व में भी तत्कालिन सरपंच व अपीलान्ट के मध्य फौजदारी मुकदमें विचाराधीन है। दिनांक 1310.2019 को अपीलान्ट द्वारा उसके प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष रास्ता कायम नही करने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर पंचायत शाखा को पाबंद किया गया था इस प्रकार अपीलान्ट की भूमि रास्ते के बाबत हमेशा से विवादित होने के बाद अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया तथा अप्रर्याप्त तामिल नोटिस को ही पर्याप्त तामिल मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी भूल की जबकि तामिल कुलिन्दा ने स्वयं नोटिस की पुस्त पर मीरादेवी पुत्री हेमराम के हस्ताक्षर अंकित कर दिये जबकि उक्त पुत्री नाबालिंग है तथा ना ही इसके हस्ताक्षर है। यदि पक्षकार घर पर मौजुद तामिल कुलिदा को नही मिलता है तो सी.पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार नोटिस की तामिल नही मानी जा सकती है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि वाके ग्राम नीमली पटवार बजरंगपुरा तहसील विराटनगर क्षेत्र में स्थित मुख्य आबादी नीमली से भोमिया जी महाराज वाया बनी की ढाणी आने जाने का आम रास्ता सभी आमजन एवं कृषकों के आवागमन हेतु उपयोग आने से राज्य सरकार विभाग (राजस्व ग्रुप–6) राजस्थान जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में तहसीलदार विराटनगर द्वारा वादग्रस्त आराजी को आम रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान को नोटिस जारी किये गये है किन्तु खातेदारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को तारीख पेशी दिनांक 29.06.2021 के नोटिस जारी तो किये गये है किन्तु उक्त नोटिस पर तामिल कुलिन्दा की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट की पोती मीरा गुर्जर द्वारा प्राप्त किया जाना अंकित किया गया है तथा अपीलान्ट के अधिवक्ता का दौरान बहस कथन रहा है कि उक्त मीरा गुर्जर नाबालिंग है। ऐसी स्थिति में नाबालिग पर करवाई गई तामिल को सम्यक रूप से तामिल नही मानी जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2021 को अपीलान्ट की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।